भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 2 -

7.	सम्पत्ति का प्रकार	: कृषि
8.	पेड़ों का मूल्यांकन	: कोई पेड़ नहीं
9.	बोरिंग/कुआं/अन्य	: नहीं
10.	प्रतिफल की धनराशि	: रू0 15,11,640/-
11.	मालियत	: रू0 4,99,600/-
12.	स्टाम्प	: रू0 1,05,850/-

चौहद्दी

खसरा नं0–[illegible]

पूरब	: खसरा संख्या–660
पश्चिम	: खसरा संख्या–658, 669 व चकरोड
उत्तर	: खसरा संख्या–662
दक्षिण	: खसरा संख्या–658 व चकरोड

9235/10

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

K 264074

विक्रय–पत्र

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	भूमि का प्रकार	: कृषि
2.	परगना	: लखनऊ
3.	ग्राम	: अहमामऊ
4.	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं०)	: भूमि खसरा संख्या–661
5.	मापन की इकाई	: हेक्टेयर
6.	विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल	: 0.253 हेक्टेयर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

764875

- 7 -

प्रथम पक्ष की संख्या–01	द्वितीय पक्ष की संख्या–01
विक्रेता का विवरण	क्रेता का विवरण
हीरालाल पुत्र रामदीन निवासी– अहमनक, परगना, तहसील व जिला– लखनऊ। व्यवसाय – कृषि	सन्तोष कुमार पुत्र देवतादीन निवासी–ग्राम व पोस्ट–अटौरा बुजुर्ग, जिला–रायबरेली व्यवसाय–व्यापार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख हीरालाल पुत्र रामदीन निवासी–अलमागंज, परगना, तहसील व जिला– लखनऊ , जिन्हें आगे विक्रेता कहा गया है, एवम् सन्तोष कुमार पुत्र केदारदीन निवासी–ग्राम व पोस्ट–अटौरा बुजुर्ग, जिला–रायबरेली निवासी– सिलमिलापुरवा, लखनऊ, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

निशानी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 576100

26 Mar 201

यह कि विक्रेता भूमिधरी खाता खतौनी क्रम संख्या-00430, फसली वर्ष 1416 से 1420 के खसरा संख्या-881 रकबा 0.153 हेक्टेयर, स्थित-ग्राम-अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला-लखनऊ, में वाकिया काबिज व दाखिल है, जो विक्रेता की पैतृक सम्पत्ति है तथा विक्रेता को वरासतन प्राप्त हुई है और राजस्व अभिलेखों में विक्रेता का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। तथा आजतक आज तक विक्रेता के कब्जे व दखल मालिकाना में मौजूद है और वो कहीं

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

गिरवी, हिबा, अधिभार, कुर्की, व जमानत आदि से ग्रसित नहीं है, अतः आराजी में किसी अन्य व्यक्ति का कोई स्वामित्व एवं अधिकार नहीं है और न ही कोई व्यक्ति भागीदार है, अतः बकायदा खुद विक्रेता के उसी आराजी स्थित उपरोक्त को पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकारों सहित बिना छोड़े किसी कोज व हक के खुश शौक व समझकर बिना किसी दबाव के, बाबत मुबलिग रू0 15,11,640/- (रूपया पन्द्रह लाख ग्यारह हजार छः सौ चालीस मात्र) में क्रेता उपरोक्त को बय कराई किया,

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

और कुल विक्रय धनराशि जरिये तहरीर दस्तावेज हाजा क्रेता खरीदार से नीचे दिये गये विवरण के अनुसार प्राप्त करके कब्जा व दखल मालिकाना आराजी मजकूरा पर आज की तारीख से क्रेता खरीदार का बाकायदे बखूबी करा दिया. अब विक्रेता व वारिसान विक्रेता को कोई हक व दावा निस्बत आराजी मजकूरा व विक्रय धनराशि के क्रेता से बाकी नहीं था, अगर कोई शख्स दावा करे तो वह बिल्कुल नाजायज होंगे, और अगर आराजी मजकूरा पूर्ण अथवा उसका कोई अंश

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 029775

-1-

क्रेता के स्वामित्व एवं अधिकारों से निकल जावे या कब्जा न मिले या कहीं गिरवी, रेहन, ऋणभार, कुर्की व जमानत आदि से बाधित पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपना कुल विक्रय धनराशि मय हर्जा-खर्चा व नुकसान के सब विक्रेता व वारिसान विक्रेता से व विक्रेता की अन्य सम्पत्ति चल व अचल से जरिये न्यायालय प्राप्त कर लेवें, इसमें विक्रेता व वारिसान विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 4H 083601

अब क्रेता उपरोक्त को पूरा अधिकार है कि वह विक्रित आराजी के सम्बन्ध में समस्त सरकारी अभिलेखों में अपने नाम दाखिल खारिज करा लेवें।

आराजी उपरोक्त में खेती होती है, आराजी उपरोक्त में पेड़, ट्यूबवेल, कुआं व इमारत आदि नहीं है। आराजी उपरोक्त के 200 मीटर त्रिज्या में कोई निर्माण आदि नहीं है।

आराजी उपरोक्त किसी लिंक मार्ग जनपदीय मार्ग व राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 876224

आराजी स्थित ग्राम अहमामऊ, परगना लखनऊ के अर्धनगरीय क्षेत्र के अति विशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है जो नगर निगम/सीमा से बाहर स्थित है जिसकी कृषि भूमि की बाजारू कीमत 32,00,000/- रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से निर्धारित है, जिसके अनुसार विक्रीत भूमि रकबा 0.153 हेक्टेयर भूमि की बाजारू मालियत रु0 4,89,600/- होती है, जो कि विक्रय मूल्य से कम है. अतः नियमानुसार विक्रय मूल्य पर अंकन स्टाम्प शुल्क रु0 1,46,850/- की अदा किये जा रहे है।

उपरोक्त आराजी मुख्य मार्ग सुल्तानपुर रोड से 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

विक्रेता व क्रेता दोनो ही अनुसूचित जाति के सदस्य है। उक्त आराजी किसी योजना व किसी सरकारी व अर्ध सरकारी संस्था द्वारा अधिगृहीत नहीं है।

यह कि ऊपर प्रयोग किये गये शब्दों ''विक्रेता '' एवं ''क्रेता'' में, जब तक वे प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उनके विधिक प्रतिनिधिगण व उत्तराधिकारीगण भी सम्मिलित है।

<u>विवरण भुगतान</u>

1. विक्रेता को रु0 15,11,640/- (रुपया पन्द्रह लाख ग्यारह हजार छः सौ चालीस मात्र) द्वारा चेक संख्या 382147 दिनांकित 28.06.2010 पंजाब नेशनल बैंक शाखा हजरतगंज, लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रु0 15,11,640/- (रुपया पन्द्रह लाख ग्यारह हजार छः सौ चालीस मात्र) विक्रेता ने क्रेता से वसूल पाया।

लिहाजा यह दस्तावेज विक्रेता ने अपनी खुशी व रजामन्दी से खूब सोच व समझकर बिना किसी दबाव के, क्रेता उपरोक्त के

[illegible] पत्र

[illegible]	[illegible]	33,500.00	30	10/[illegible]	1,[illegible]
		[illegible] फीस	[illegible]	[illegible]	[illegible]

प्रतिफल [illegible]

श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

व्यवसाय कृषि

निवासी [illegible] के [illegible]

[illegible]

[illegible] दिनांक [illegible]/2010 समय [illegible] PM

[illegible]

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

[illegible]

उप निबन्धक (द्वितीय)

[illegible]

[illegible]/2010

[illegible]

विक्रेता

श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

पेशा कृषि

निवासी [illegible]

क्रेता

श्री [illegible] कुमार

पुत्र श्री [illegible]

पेशा कृषि

निवासी [illegible]

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

पेशा व्यापार

निवासी [illegible]

व श्री [illegible] कुमार [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

पेशा व्यापार

निवासी [illegible]

ने की ।

[illegible]

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

[illegible] दुबे

उप-निबन्धक (द्वितीय)

[illegible]

[illegible]/2010

पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवें।

अतः आज उभय पक्षों ने इस विक्रय विलेख पर अपने-अपने हस्ताक्षर करके इसे निष्पादित किया।

नोट–पेज नं0–11 पर चैक संख्या काले पेन से लिखी गयी है।

दिनांक : 28.06.2010
लखनऊ
गवाहान:–

1.

विक्रेता

क्रेता

2.

टाईपकर्ता:
(राम सनेही)
सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता:
([illegible] अनुराग)
एडवोकेट.

বিক্রেতা

Registration No.: 5035 Year: 2010 Book No.: I

01/01 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

नक्शा नजरी

ग्राम–

खसरा संख्या–

विक्रेता

क्रेता

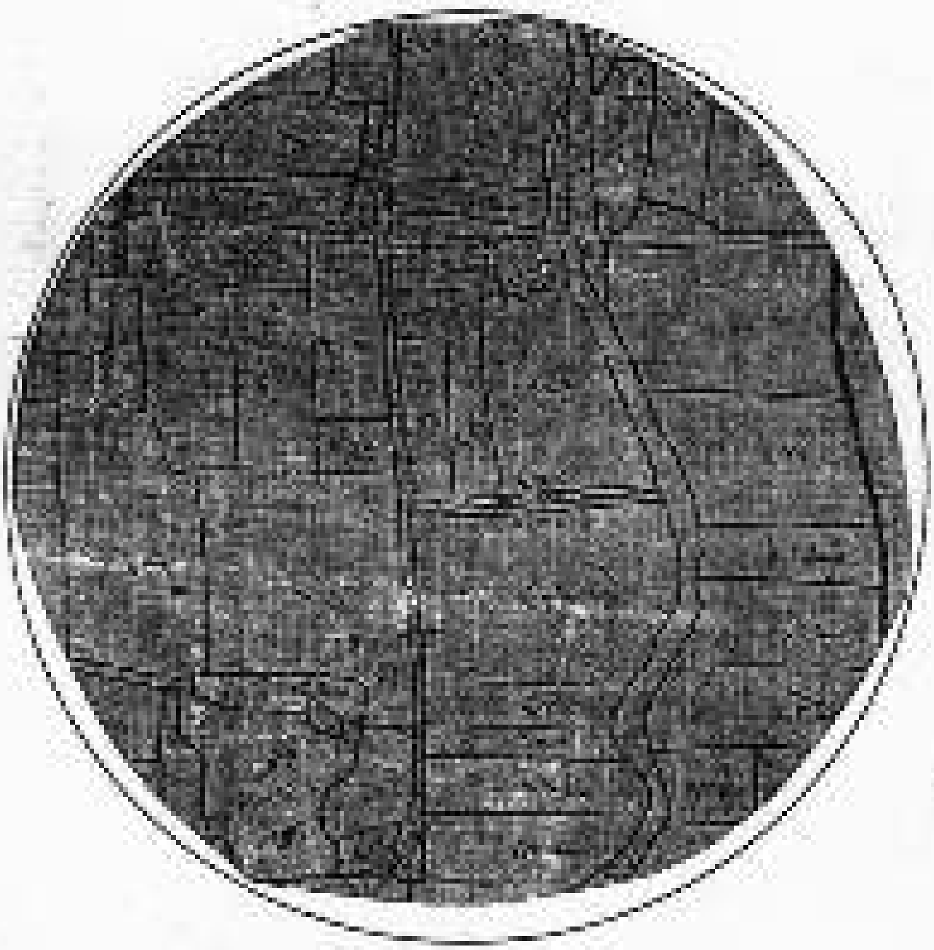

हीरालाल

विक्रेता

क्रेता

ক্রেতা

Registration No. : 1233 Year : 2,010 Book No. :

2201 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

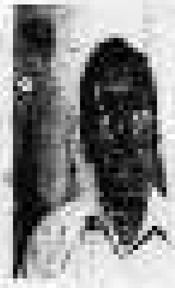

रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु
फिंगर्स प्रिन्टस्

विक्रेता का नाम व पता:- हीरालाल पुत्र रामदीन निवासी- अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला- लखनऊ

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

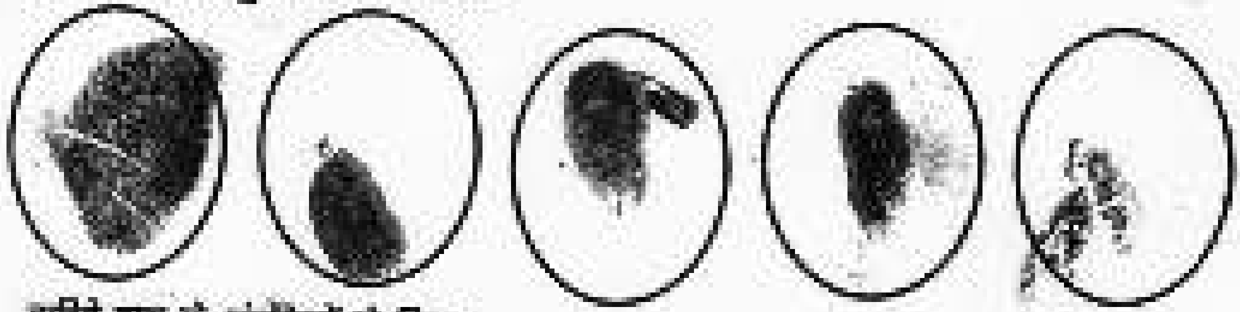

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

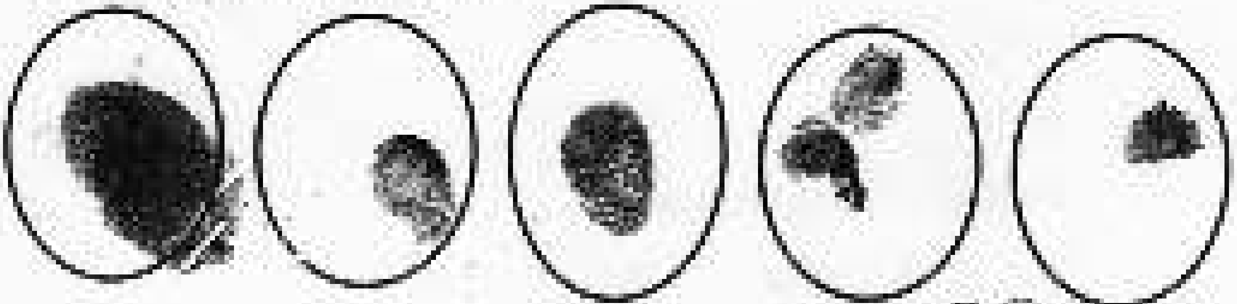

क्रेता का नाम व पता-सन्तोष कुमार पुत्र देवतादीन निवासी-ग्राम व पोस्ट-[illegible], जिला-रायबरेली

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

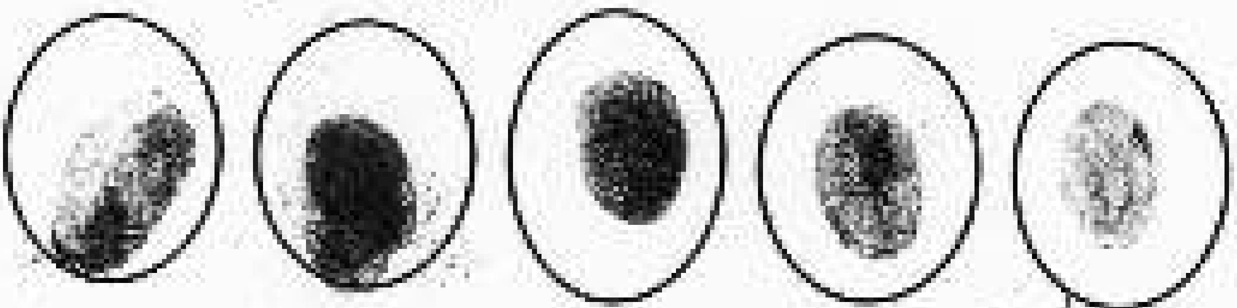

क्रेता के हस्ताक्षर

आज दिनांक 28/06/2010 को

बही सं 1 जिल्द सं 9922

पृष्ठ सं 299 से 326 पर क्रमांक 8235

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के

अखिलेश दुबे

उप-निबन्धक (द्वितीय)

लखनऊ

28/6/2010